



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2018-19

दिनांक: 18/07/2018

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- (1) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.), इलाहाबाद
- (2) वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फैजाबाद
- (3) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
- (4) वे.ले.का.(अ.श्रे.) 11 जीआरआरसी लखनऊ
- (5) वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ

विषय: नवनियुक्त लेखा परीक्षकों/लिपिकों का प्रवेश पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित लेखा परीक्षकों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 23/07/2018 से 03/08/2018 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ द्वारा आयोजित उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1	रंजीत कुमार	8341865	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.), इलाहाबाद
2	राहुल कुमार	8341866	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.), इलाहाबाद
3	रामाश्रे	8341882	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.), इलाहाबाद
4	सत्येंद्र सिंह	8341887	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म.क.), इलाहाबाद
5	नितीश मिश्रा	8341837	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) डी आर सी फैजाबाद
6	शुभम साहु	8341867	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
7	अमर श्रीवास्तव	8341878	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
8	विजय कुमार	8341897	ले. प.	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (म. क.) कानपुर
9	अजय प्रकाश	8341844	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) 11 जीआरआरसी लखनऊ
10	मुकेश कुमार अवस्थी	8341851	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) 11 जीआरआरसी लखनऊ
11	मो. इमरान	8341864	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) 11 जीआरआरसी लखनऊ
12	हमाम शोएब अंसारी	8341868	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
13	ज्योति मीणा	8341869	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
14	आस्था मिश्रा	8341886	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
15	सिकंदर कुमार गुप्ता	8341888	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
16	प्रबल प्रताप सिंह	8341895	ले. प.	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. कर्मचारियों को अपने कार्यालय से दिनांक 23/07/2018 से दिनांक 03.08.2018 तक कार्य-मुक्त करके उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।
5. 30 दिन (6 सप्ताह) के आंतरिक प्रशिक्षण की सूचना बाद में प्रदान की जाएगी।

— ६ —

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| (1) प्रशासन 1अ अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| (2) प्रशासन V अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| ✓(3) स्वचलन कक्ष | : | कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |
| (4) क्षे. प्र. के. लखनऊ | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |

21/7/18

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)